सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—रामनिवास जाट, आर.ए.एस

1. अपील संख्याः 18/16 **निर्णय दिनांकः— 28—06—2019**

1. नरसीराम पुत्र फूसाराम जाति गुरूड़ा निवासी चारणवाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. मदनलाल पुत्र नरसीराम जाति गुरूड़ा निवासी चारणवाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. उदाराम पुत्र अमानाराम जाति सुथार निवासी टोकला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 12—08—2008
उपायुक्त उपनिवेशन एवं कलेक्टर, बीकानेर

2. अपील संख्याः 31/16

1. नरसीराम पुत्र फूसाराम जाति गुरूड़ा निवासी चारणवाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. मदनलाल पुत्र नरसीराम जाति गुरूड़ा निवासी चारणवाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. उदाराम पुत्र अमानाराम जाति सुथार निवासी टोकला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपीलें विरुद्ध निर्णय दिनांक 25—04—2006
उपायुक्त उपनिवेशन एवं कलेक्टर, बीकानेर

उपस्थितः–

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री राधाकिसन स्वामी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपीलें उपायुक्त उपनिवेशन एवं कलेक्टर, बीकानेर के आदेश दिनांक 12–08–2008 व आदेश दिनांक 25–04–2006 जिसके द्वारा वादग्रस्त भूमि को गैर मुमकिन आबादी हेतु स्वीकृत नहीं करने के आदेश प्रदान किये गये है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. दोनों अपीलों में निर्णय हेतु वैधानिक बिन्दु समान होने के कारण उपरोक्त दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही समान निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में सुरक्षित रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम पंचायत बीकमपुर के आराई सर्किल राजस्व विभाग के द्वारा दिनांक 06–01–1975 को एक आवासीय भूखण्ड आवंटन किया गया। जिसका पट्‌टा भी अपीलांट के नाम से जारी कर दिया गया। तभी से उक्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि ग्राम चारणवाला के खसरा नम्बर 1272 व 207 से यह चक 3 सीडब्ल्यूएम मुरब्बा नम्बर 149/34 है जिसका किला नम्बर 18 है जिसमें से करीब 13–14 बिस्वा भूमि सड़क में अवाप्त कर ली गई तथा शेष भूमि पर अपीलांट संख्या 1 काबिज है। इसी प्रकार अपीलांट संख्या 2 का भी मुरब्बा नम्बर 149/34 के किला न म्बर 12 व 13 पर पुराना कब्जा तथा आवासीय मकान बना हुआ है। अपीलांट्स द्वारा उक्त भूमि आबादी विस्तार हेतु किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो

आज दिनांक तक जैरकार है। अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर तहसील कार्यालय से समय समय पर रिपोर्ट भी प्राप्त की गई। इन सभी रिपोर्टस में अपीलांट्स का कब्जा माना गया है। उक्त तथ्यों के विपरीत जाकर वादग्रस्त भूमि पर गैर मुमकिन तालाब/कुण्ड व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 खातेदारी भूमि होने के कारण अपीलांट का आबादी प्रस्ताव खारिज किया गया है। जबकि वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। अपीलांट के पक्ष में पूर्व में वर्ष 1975 में जारी किया गया पट्टा आज भी प्रभाव में है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को उक्त भूमि आबादी विस्तार हेतु रिर्जव की जानी चाहिए थी। अदालत मातहत द्वारा बिना माईण्ड अप्लाई किये आदेश जैर अपील पारित किया गया है। वादग्रस्त भूमि के बाबत् प्रारम्भ से ही विवाद चला आ रहा है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है। यदि किया भी गया है तो उक्त आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य व एबईनिशियोंवाईड आदेश है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व भू–अभिलेख नियम 1957 के रूल्स 121 के नियम 4 की पूर्ण रूप से पालना नहीं की गई है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाये जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट को आवंटित भूमि है तथा शेष भूमि गैरमुमकिन दर्ज रिकार्ड है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि आबादी विस्तार हेतु स्वीकृत नहीं की जा सकती है। अपीलांट द्वारा समय समय पर उक्त भूमि को आबादी हेतु स्वीकृत कराये जाने के प्रयास किये जाते रहे है, परन्तु अपीलांट के प्रार्थना पत्रों को राज्य सरकार के स्तर पर खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादग्रस्त भूमि के बाबत् रिपोर्ट प्राप्त किये जाने पर संबंधित तहसीलदार द्वारा अपने पत्र क्रमांक ओके/2169 दिनांक 10–08–2008 से अवगत कराया है कि आवेदित भूमि गैरमुमकिन तथा उदाराम नामक व्यक्ति की खातेदारी भूमि होने के कारण पूर्व में दिनांक 25–04–2006 को प्रस्ताव निरस्त किये

जा चुके है। उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से साबित है कि वादग्रस्त भूमि गैरमुमकिन व रेस्पोडेन्ट को आवंटित भूमि है। जिस पर अपीलांट का कोई हक व हकूक साबित नहीं होते है। अपीलांट द्वारा समय समय पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अनावश्यक रूप से सरकारी तंत्र व रेस्पोडेन्ट को तंग व परेशान किया जा रहा है। जिसकी कानून कतई अनुमति प्रदान नही ंकरता है। लिहाजा अपीलांट इन अपीलों के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपीलें खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखे जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रथम अपील उपायुक्त उपनिवेशन के आदेश दिनांक 25—04—2006 के विरूद्व दस साल विलम्ब से पेश की गई है। अपीलांट्स का कथन है कि उक्त आदेश की जानकारी उसे दिनांक 05—07—2016 को हुई जब ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थीगण को आबादी भूमि में परिवर्तन करने से इंकार कर दिया गया।

अपीलाधीन आदेश क पैरा संख्या 2 में स्पष्ट उल्लेख है कि आवेदक श्री मदनलाल गर्ग (अपीलांट संख्या 2) ने माननीय राजस्व मंत्री के माध्यम से मुरब्बा नम्बर 149/34 के किला नम्बर 12, 13 व 18 की भूमि आबादी विस्तार हेतु आरक्षित करने का आवेदन किया है। भूमि कि किस्म गैरमुमकिन कुण्ड एवं नाडिया होने के कारण आवेदन निरस्त कर दिया गया। जिसकी जानकारी मिलने पर अपीलांट ने दिनांक 20—08—2009 को ग्राम पंचायत से प्रस्ताव तैयार करवाया। पुनः दिनांक 20—04—2013 को ग्राम पंचायत से प्रस्ताव तैयार करवाया गया। अपीलांट मदनलाल द्वारा अगस्त, 2008 की जनसुनवाई में प्रकरण दर्ज करवाने पर कार्यवाही कीसूचना दिनांक 02—08—2008 को उसे भेजी गई। तत्पश्चात् अपीलांट ने दिनांक 06—10—2008 को पुनः जॉच की माग की। अपीलांट अपीलाधीन आदेश जारी होने के बाद उसे अपने अनुकूल संशोधित करवाने के लिए लगातार प्रयासरत् रहा, परन्तु आवेदित भूमि की किस्म गैर मुमकिन कुण्ड एवं नाडिया होने के कारण

तथा आबादी में परिवर्तन योग्य नहीं होने के कारण हर स्तर पर आवेदन खारिज किया गया। आवेदक की मांग कानून से बाधित होने के कारण किसी भी स्तर पर अनुतोष संभव नहीं होने पर 10 साल पूर्व में जारी आदेश की अपील पेश की हैं अपीलांट द्वारा विलम्ब के संबंध में बताया गया कारण संतोषजरक नहीं है तथा गुणावगुण के आधार पर भी अपीलांट को कोई अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है।

इसी तरह द्वितीय अपील संख्या 18/2016 भी इसी विषय वस्तु पर आधारित पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र के संबंध में जारी आदेश दिनांक 12—08—2018 के विरूद्व पेश की गई है। जिस पर पूर्व विवेचित अपील के ही मापदण्ड लागू होते है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की दोनों अपीलें मियांद बाहर तथा विधिक प्रावधानों से असंगत पाये जाने पर खारिज की जाती है तथा उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 24—04—2006 व आदेश दिनांक 12—08—2008 यथावत बहाल रखे जाते है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 28.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर